**टी०ए० मिस केस सं० 231/2019-20**

| दिनांक | आदेश | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 22-10-19 | अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **साधुचरण सुन्डी, पिता– स्व० मोटाय सुन्डी,** ग्राम– **करकट्टा,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **मतकमहातु, थाना– 642,** खाता नं०– **7,** प्लॉट नं०– **250, रकवा– 3.75 डी०** भूमि क्रेता **सरस्वती समद, पति– सोमाय सुन्डी,** ग्राम– **चेतन सिका,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।<br>अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण मु० सं० 457/15–16 द्वारा नामांतरित है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।**<br>अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– **720,** दिनांक– **18.10.2019** द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **सरस्वती समद, पति– सोमाय सुन्डी,** ग्राम– **चेतन सिका,** थाना– **मुफ्फसिल,** के पास **4,50,000.00/–(चार लाख पचास हजार) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फसिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।<br>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **2.30** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है।<br>अतः अंचल अधिकारी, **मुफ्फसिल** एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **साधुचरण सुन्डी, पिता– स्व० मोटाय सुन्डी,** ग्राम– **करकट्टा, को** क्रेता **सरस्वती समद, पति– सोमाय सुन्डी,** ग्राम– **चेतन सिका,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास. **4,50,000.00/–(चार लाख पचास हजार) रूपये** में **मौजा–मतकमहातु, थाना– 642,** खाता नं०– **07,** प्लॉट नं०– **250, रकवा– 3.75 डी०** भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ......अनुमति......दी जाती है।<br><br>लेखापित।<br><br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>सदर चाईबासा।<br><br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>सदर चाईबासा। | |

Scanned with CamScanner